

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया  
पत्रांक 1574/2-6 दिनांक, देवरिया, दिसम्बर 29 / 2023  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल,  
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग एस0एच0-79 के कि0मी0 15 से 16 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं0-1034, ग्राम-सिरवनियों तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.071528 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक तीन वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1107/11 सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153494/2022 दिनांक 27.10.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति की गयी है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र नदी जल ग्रहण का हिस्सा है इसलिये लगाये जाने वाले वृक्षारोपण को बाढ़ के कारण बह जाने का खतरा होगा, संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन कर सभी दस्तावेज के साथ सूचित करें। आपत्ति का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	आपत्ति का विवरण	उत्तरालेख
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र नदी जल ग्रहण का हिस्सा है इसलिये लगाये जाने वाले वृक्षारोपण को बाढ़ के कारण बह जाने का खतरा होगा, संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन कर सभी दस्तावेज के साथ सूचित करें।	उक्त निर्देश के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित स्थल ग्राम समाज-कुशहरी, तहसील -देवरिया- सदर, परगना- सलेमपुर मझौली, जिला-देवरिया में गाटा सं0-858 में चयन कर के0एम0एल0 फाईल, डिजिटल मैप तथा टोपो शीट एवं स्टीमेट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में ।

भवदीय

  
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
(जगदीश आर)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया